न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 41/2021

अजायबसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति सिक्ख निवासी चनियाकला तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. मौहम्मदा पुत्र कमल खां जाति मेव निवासी चानिया कला तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

श्री मौहम्मद खां अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :– 03/05/2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 718/0.40, 719/0.20 हैक्टर बांके ग्राम चानिया कला तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 718 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं खसरा नम्बर 719 का अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है। उक्त दोनो नम्बरो का सैटलमेन्ट से पूर्व साविक खसरा नम्बर 415 था सैटलमेन्ट ने साविक खसरा नम्बर 415 के हाल खसरा नम्बर 718, 719 बने है जो नक्शा तैयार करते समय सैटलमेन्ट विभाग ने लापरवाही बरतते हुये भारी भूल की है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 718 व रोड (खसरा नम्बर 720) के बीच अप्रार्थी संख्या 2 का खसरा नम्बर 719 दर्शाया है जबकि प्रार्थी का नम्बर रोड के पास होना चाहिए था प्रार्थी ने अपनी आराजी की डौल मेड कर रखी है जो कि प्लॉट होने के समय से ही बना ली थी। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने नया नक्शा खिलाफ मौका बनाया है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित है। सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 719 को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दर्शाया है प्रार्थी तहसीलदार पहाडी के समक्ष दुरूस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार पहाडी ने प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नक्श शुद्धि की जावे एवं प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 718 को प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जानुसार नक्शा में दर्शाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी मौका रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम चानियाकला की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार खसरा नम्बर 718 रकबा 0.40 हैक्टर अजायब सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति सिक्ख पूर्ण हिस्सा व खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर मौहम्मदा पुत्र कमल खां हिस्सा पूर्ण जाति मेव साकिन चानिया कला के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर जरीब चलाकर पैमाइश की गई । सडक (रोड) से लगी भूमि 0.40 हैक्टर पर प्रार्थी अजायव सिंह का कब्जा पाया गया राजस्व रिकॉर्ड मौका अवलोकन अनुसार खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 718 रकबा 0.40 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 718 रकबा 0.40 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी

पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

के स्थान पर खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर नक्शा में दुरूस्त किया जाना उचित है।

अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जवाब पेश ना करने के कारण जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया आराजी खसरा नम्बर 718, 719 साविक खसरा नम्बर 415 से बने है मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी प्रार्थीय अजायव सिंह का कब्जा रोड के खसरा नम्बर 720 से सटे हुये खसरा नम्बर 719 की जगह 0.40 हैक्टर पर है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा खसरा नम्बर 718 रकबा 0.20 हैक्टर पर है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 718/0.40 मौके के विपरीत प्रार्थी अजायव सिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 719/0.20 हैक्टर अप्रार्थी मौहम्मदा के नाम दर्ज है। यदि प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट के अनुसर दुरूस्ती की जाती है तो नक्शा में खसरा नम्बर 718 को सडक के पास , खसरा नम्बर 720 से लगा हुआ व खसरा नम्बर 719 को सडक से दूर खसरा नम्बर 718 के बाद तरमीम दुरूस्ती से कोना कुदान होता है इस तरह नक्शा लठ्ठा में दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 719 जिस पर प्रार्थी का कब्जा है का रकबा 0.20 हैक्टर के स्थान पर 0.40 हैक्टर दुरूस्त कर प्रार्थी के नाम व खसरा नम्बर 718 जिसका रकबा 04.40 हैक्टर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है का रकबा 0.40 हैक्टर के स्थान पर 0.20 हैक्टर कर अप्रार्थी मौहम्मदा पुत्र कमल खां के नाम दुरूस्त किया जाना मौका एवं राजस्व नक्शा में दुरूस्ती के अनुसार उचित रहेगा।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 719/0.20 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.40 हैक्टर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड मौहम्मदा पुत्र कमल खां के स्थान पर प्रार्थी अजायव सिंह के नाम व खसरा नम्बर 718 का रकबा 0.40 हैक्टर के स्थान पर 0.20 हैक्टर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी अजायव सिंह पुत्र जोगेन्द्र के स्थान पर अप्रार्थी मौहम्मदा पुत्र कमल खां के नाम दुरूस्त किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner